रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052024-254017
CG-DL-E-02052024-254017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946
No. 309] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2024

सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1बी.—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उपधारा [1] के अनुच्छेद (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (डिप्लोमा इन फार्मेसी-आयुर्वेद) विनियम 2024 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "उप निदेशक" से आशय उप निदेशक (फार्मेसी) से है;

(ख) "डिप्लोमा" से आशय "डिप्लोमा इन फार्मेसी-आयुर्वेद" से होगा;

(ग) "परीक्षा नियंत्रक (सीओई)" से आशय संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा नियंत्रक से होगा।

(2) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. डिप्लोमा इन फार्मेसी- आयुर्वेद पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन फार्मेसी - आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयुर्वेद शिक्षा गहन विद्वत्ता के गुणवत्ता वाले फार्मासिस्ट तैयार करेगी, जिनके पास आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान के साथ आयुर्वेद फार्मेसी का विलेखित आधार होगा और जो समाज की फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्य करने में सक्षम योग्य आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट तथा कंपाउंडर या दवासाज होंगे।

4. प्रवेशके लिए न्यूनतम योग्यता- (1) अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट (10+2) या इसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और सामान्य श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गके मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर उक्त योग्यता परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गके मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

(2) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में उक्त योग्यता परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के मामले में पैंतालीस प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियोंके लिए दो सीटें आरक्षित होंगी। खंड 4(1) उक्त विदेशी नागरिक अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा। इन अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है।

(5) आरक्षण नीति: संस्थान भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रवेश में आरक्षण नीति लागू करेगा।

(6) अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन: योग्यता परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर, संस्थान के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। आवंटित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा और पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

5. छात्रों का नामांकन- (1) छात्र को उसके प्रवेश के छह महीने के भीतर संस्थान के छात्र के रूप में नामांकित किया जाएगा।

(2) नामांकन शुल्क संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसका भुगतान केवल एक बार किया जाएगा, चाहे छात्र संस्थान की परीक्षाओं में कितनी भी बार शामिल हो।

(3) परीक्षा नियंत्रक नामांकन के रिकॉर्ड का अनुरक्षण करेगा।

(4) नामांकन पर, प्रत्येक छात्र को एक नामांकन संख्या प्राप्त होगी जिसके तहत उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है और वह संख्या संस्थान के साथ सभी संचारों में छात्र द्वारा उद्धृत की जाएगी।

6. शुल्क संरचना- छात्रों को वार्षिक शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, महाविद्यालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, ट्यूशन शुल्क और संस्थान द्वारा अधिसूचित अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा।

7. पाठ्यक्रम की अवधि- डिप्लोमा दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा। कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी।

8. प्रदान किया जाने वाला डिप्लोमा- छात्र को सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और निर्धारित अवधि में अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

9. शिक्षण का माध्यम- पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी में होगा।

10. वर्षवार पेपरों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा, अर्थात्:-

तालिका 1

डिप्लोमा इन फार्मेसी-आयुर्वेद

प्रथम वर्ष

कुल कार्य दिवस: 180 कुल कार्य घंटे: 680

क्र. सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांतिक परीक्षा के अंक	ायोगिक परीक्षा के अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना–I (आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स)	75	110	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-I (मटेरिया मेडिका)	75	110	100	100
3	शारीर (क्रिया शारीर, रचना शारीर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी)	75	110	100	100
4	आयुर्वेद और स्वस्थवृत्त के मूलभूत सिद्धांत	75	---	100	---
5	संस्कृत	50	---	50	---
	कुल	350	330	450	300

तालिका 2

डिप्लोमा इन फार्मेसी-आयुर्वेद

द्वितीय वर्ष

कुल कार्य दिवस: 180 कुल कार्य घंटे: 735

क्र. सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांतिक परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-II (आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स)	75	110	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-II (मटीरिया मेडिका)	75	110	100	100
3	डिस्पेंसिंग, कम्यूनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी (डीसीएच)	75	110	100	100
4	रोग विज्ञान (आयुर्वेदिक पैथोलॉजी) और चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत	90	---	100	-
5	फार्मास्युटिकाल ज्यूरीसपृडेन्स एंड ड्रग हाउस मेनेजमेंट	90	---	100	-
	कुल	405	330	500	300

11. सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ- छात्र संस्थान द्वारा आयोजित मुख्य पाठ्यक्रम के दौरान कार्यशालाओं, सेमिनारों, योग शिविरों, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों और ड्रग टूर सहित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

12. परीक्षाएँ- (1) नामांकित छात्र अपने वर्ष की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

(2) परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति प्रत्येक विषय में कुल व्याख्यान और प्रैक्टिकल का अलग-अलग पचहत्तर प्रतिशत होगी।

(3) नीचे निर्दिष्ट सीमा तक उपस्थिति में कमी में निम्नानुसार छूट दी जा सकती है:

क) प्रमाणित बीमारी के कारण, फार्मेसी पाठ्यक्रम के उप निदेशक संबंधित छात्र की उपस्थिति में मौजूदा उपस्थिति के अलावा पांच प्रतिशत की छूट दे सकते है।

ख) यदि किसी छात्र की उपस्थिति पाँच से दस प्रतिशत कम हो जाती है तो उप निदेशक उपस्थिति में छूट पर अंतिम निर्णय के लिए मामले को निदेशक के पास भेज देगा।

(4) परीक्षा का संचालन- (क) सभी परीक्षाएं परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई तारीखों और समय पर आयोजित की जाएंगी।

(ख) पात्र छात्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और संस्थान के परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर विधिवत भरा हुआ परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा।

(5) परीक्षा का वर्ष- (क) प्रथम वर्ष की परीक्षा सामान्यत: वर्ष के सत्रांत तक आयोजित और पूर्ण की जाएगी। प्रथम वर्ष के दो विषयों तक में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को दूसरे वर्ष के सत्र में विषयों को जारी रखने और दूसरे वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। प्रथम वर्ष की अगली पूरक परीक्षा प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएगी और अधिकतम चार वर्षों की अवधि के भीतर प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम चार अवसर (मुख्य परीक्षा सहित) दिए जाएंगे। अधिकतम सीमा के भीतर उत्तीर्ण न हो पाने की स्थिति में छात्र को आगे पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को सत्र पूरा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र को दूसरे वर्ष में पदोन्नत होने से पहले सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा। प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम चार वर्षों की अवधि के भीतर अधिकतम चार अवसर (मुख्य परीक्षा सहित) दिए जाएंगे।

(ग) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) परीक्षा पैटर्न और पदोन्नति- (क) सैद्धांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न संस्थान के परीक्षा नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ख) प्रश्नपत्र द्विभाषी, अंग्रेजी भाषा और हिंदी में होगा और उत्तर अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में लिखे जा सकते हैं।

(ग) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग, पचास प्रतिशत होंगे, जैसा कि इन विनियमों की अंक वितरण तालिका में उल्लिखित है।

(घ) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्रथम श्रेणी तथा पचहत्तर प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को विशिष्टता प्रदान की जाएगी और ये पुरस्कार पूरक परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होंगे।

(ङ) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में उपस्थित होगा, जिसकी नियमित परीक्षा में उपस्थित न होने को अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा।

(7) परीक्षकत्व- (क) सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक बनने की पात्रता संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव होगा।

(ख) प्रायोगिक परीक्षा में दो परीक्षक होंगे, एक संस्थान का आंतरिक और दूसरा किसी भी संस्थान से होगा।

13. अनुचित साधनों और उच्छृंखल आचरण पर नियंत्रण- (1) कोई भी छात्र परीक्षा में या उसके संबंध में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा या उच्छृंखल आचरण में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना संस्थान के परीक्षा के प्रावधानों के अनुसार अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंडनीय अपराध माना जाएगा।

(2) किसी परीक्षा या परीक्षण में किसी छात्र के कदाचार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने या मामले का पता चलने पर निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद छात्र को दंडित करने की शक्ति होगी। . यदि किसी परीक्षा में कदाचार का आरोप छात्र के विरुद्ध सिद्ध हो जाता है तो समिति द्वारा छात्र को निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड दिया जा सकता है:

(क) किसी परीक्षा में उसके प्रवेश को रद्द करना या अस्वीकार करना और छात्र द्वारा भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, को जब्त कर लेना।

(ख) छात्र के उस परीक्षा का परीक्षा परिणाम रद्द करना जिससे आरोप जुड़ा है।

(ग) उसे एक विशिष्ट अवधि के लिए वंचित करना जो पांच वर्ष या उससे अधिक या स्थायी हो सकता है

(i) संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल होना और/या

(ii) नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए दंड के स्तर के अनुसार किसी भी संस्थागत परीक्षा में उपस्थित होना।

अनुसूची

नीचे दी गई अनुसूची उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुचित साधनों या कृत्यों के लिए कॉलम (3) में दंड का प्रावधान करती है

क्र. सं.	अनुचित साधन या कृत्य	दण्ड
(1)	(2)	(3)
(1)	परीक्षा हॉल के अंदर उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर या कुछ भी लिखना।	संबंधित विषय का परिणाम रद्द किया जा सकता है
(2)	परीक्षा हॉल में परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री रखना अर्थात्: (क) कागजात, किताबें या नोट्स; अथवा (ख) छात्र द्वारा पहने गए कपड़ों के किसी भी हिस्से पर या उसके शरीर के किसी भी हिस्से, या टेबल या डेस्क पर लिखित नोट्स; अथवा (ग) फुट-रूल और/या उपकरण जैसे सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड रूलर आदि जिन पर नोट्स लिखे हों।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(3)	उत्तर-पुस्तिका से नकल करना पाया गया या सिद्ध किया गया या अन्यथा यह स्थापित हो जाता है कि छात्र ने: (क) परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी समय किसी भी तरीके से किसी भी कागजात, किताबें, नोट्स, उत्तर-पुस्तिका या किसी अन्य स्रोत से नकल की या मदद ली; या (ख) किसी अन्य छात्र को अपनी उत्तर-पुस्तिका से नकल करने की अनुमति दी; या (ग) किसी अन्य छात्र से सहायता प्राप्त की है या सहायता दी है; या (घ) किसी अन्य छात्र के साथ अपनी उत्तर-पुस्तिका या उसके किसी भाग का आदान-प्रदान किया।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(4)	प्रश्न पत्र (या उसके किसी भाग) को परीक्षा हॉल से बाहर भेजने या बाहर भेजने का प्रयास करने पर	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(5)	आपत्तिजनक सामग्री को निगलना, उसे लेकर भाग जाना या उसे गायब कर देना या किसी अन्य तरीके से नष्ट करना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है

(6)	किसी उत्तर-पुस्तिका को अंदर या बाहर ले जाना अथवा उसे बदलना या उत्तर लिखने के बाद उसे बदल देना (परीक्षा के दौरान या बाद में किसी व्यक्ति की सहायता या सहायता के बगैर या मिलीभगत से)।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(7)	उत्तर-पुस्तिका पर्यवेक्षक को न सौंपना या उत्तर-पुस्तिका को नष्ट कर देना।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(8)	जीवन, परीक्षा से जुड़े व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खतरा या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार सहित परीक्षा हॉल में गंभीर कदाचार या परीक्षा हॉल के अंदर या बाहर परीक्षा ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग या उपद्रव करना।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है
(9)	अवज्ञा, सीट परिवर्तन, परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार या उत्तर पुस्तिका पर किसी अन्य छात्र की सीट संख्या लिखना।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(10)	अंक बढ़ाने या खाली पन्नों पर उत्तर लिखने या परीक्षा के संचालन में बाधा डालने के लिए परीक्षक के पास जाना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(11)	प्रतिरूपण-प्रतिरूपणकर्ता (जो किसी अन्य छात्र के लिए लिखता है), यदि वह इस संस्थान का छात्र होने के साथ-साथ प्रतिरूपित छात्र भी है।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है।
(12)	जब उत्तर-पुस्तिका में शामिल हो, (क) अपमानजनक या अश्लील या धमकी भरी भाषा; या (ख) परीक्षक से अपील; या (ग) पहचान प्रकट करने के लिए विशिष्ट चिह्न या चिह्न।	संबंधित विषय का परिणाम रद्द किया जा सकता है
(13)	आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर परीक्षा में प्रवेश।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(14)	यदि छात्र वीडियो फुटेज में बात करते या कोई अन्य कदाचार करते हुए/या परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हुए पाया जाता है।	दो परीक्षाओं तक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है

14. डिप्लोमा प्रदान करना- अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्र को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

डॉ. अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./078/2024-25]

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2024

NO. L-12015/25/2021-AS-Pt.1B.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section [1] of section 28 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Title and Commencement.- (1) These regulations shall be called as the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Diploma in Pharmacy – Ayurveda) Regulations 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context otherwise require,-

   (a) “Deputy Director” means the Deputy Director (Pharmacy);

   (b) "Diploma" shall mean the “Diploma in Pharmacy - Ayurveda”;

   (c) "Controller of Examinations (COE)" shall mean Controller of Examinations appointed by the Institute.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Diploma in Pharmacy - Ayurveda course.- Diploma in Pharmacy - Ayurveda education at the Institute of Teaching and Research in Ayurveda shall produce quality pharmacists of profound scholarship having deed basis of Ayurveda Pharmacy with scientific knowledge in accordance with Ayurvedic fundamentals who would be able and efficient in good Ayurvedic pharmacists and compounders or dispensers competent to serve in the Pharmaceutical and Health Services of the society.

4. Minimum qualification for admission.- (1) The candidate must have passed intermediate (10+2) or its equivalent examination with the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English and must have obtained minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the aforesaid qualifying examination in the case of the General category, Economically Weaker Section and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

(2) In respect of persons with disability specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of the General category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

(3) No candidate shall be admitted to Diploma Course unless he or she has attained the age of seventeen years on or before the 31stDecember of the year of admission in the first year of the course.

(4) There will be two seats reserved for foreign national candidates, approved by the Central Government. The Section 4 (1) shall not be applicable for said foreign national candidate. For these candidates any other equivalent qualification approved by the Central Government may be allowed.

(5) Reservation Policy: The Institute shall implement the reservation policy in admissions, in accordance with norms of Government of India.

(6) Verification of their credentials: On declaration of the results of the qualifying examination, the admission to the Diploma course of the Institute shall be granted on the basis of merit list. The allotted candidates shall have to remain physically present for verification of their credentials and the admission shall be granted to the eligible candidates.

5. Enrolment of students.- (1) Student shall be enrolled as a student of the Institute within six months of his admission.

(2) The enrolment fee shall be determined by the Institute and shall be paid once only irrespective of the number of times the student appears for examinations of the Institute.

(3) The Controller of Examinations shall maintain the record of the enrollment.

(4) On enrollment, every student shall receive an enrollment number under which his name has been entered in the register and that number shall be quoted by the student in all communications to the Institute.

6. Fees structure.- Students shall have to pay an annual fee like admission fee, college fee, examination fee, tuition fee and other fees notified by the Institute.

7. Duration of course.- The Diploma shall extend over a period of two academic years. The curricula and syllabi for the programme shall be determined by the Institute.

8. Diploma to be awarded.- The student shall be awarded Diploma after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period.

9. Medium of instruction.- The medium of instruction for the course shall be in English or Hindi.

10. Year wise number of papers, teaching hours and marks distribution shall be as per the following tables, namely:-

TABLE 1

Diploma in Pharmacy – Ayurveda

First Year

Total working days: 180 Total working hours: 680

Sl. No.	Subject	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Theory marks	ractical marks
1	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana – I (Ayurvedic Pharmaceutics)	75	110	100	100
2	Dravyaguna Vigyana – I (Ayurvedic Pharmacology and	75	110	100	100

	Toxicology)				
3	**Sharira (Anatomy & Physiology)**	**75**	**110**	**100**	**100**
4	**Fundamentals of Ayurveda and Swasthavritta**	**75**	**---**	**100**	**---**
5	**Sanskrit**	**50**	**---**	**50**	**---**
	Total	**350**	**330**	**450**	**300**

TABLE 2

Diploma in Pharmacy – Ayurveda

Second Year

Total working days: 180 Total working hours: 735

Sl. No.	Subject	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Theory marks	Practical marks
1	**Rasashastra and Bhaishajya Kalpana – II (Ayurvedic Pharmaceutics)**	**75**	**110**	**100**	**100**
2	**Dravyaguna Vigyana – II (Ayurvedic Pharmacology and Toxicology)**	**75**	**110**	**100**	**100**
3	**Dispensing, Community Pharmacy and Hospital Pharmacy (DCH)**	**75**	**110**	**100**	**100**
4	**Fundamentals of Rogvigyana (Ayurvedic Pathology) and Chikitsa**	**90**	**---**	**100**	**-**
5	**Pharmaceutical Jurisprudence and Drug House Management**	**90**	**---**	**100**	**-**
	Total	**405**	**330**	**500**	**300**

11. Co-Curricular Activities.- Students shall actively participate in various activities including Workshops, Seminars, Yoga Shibira, Sports and Cultural activities and Drug tour during the main course organised by the Institute.

12. Examinations.- (1) Enrolled Students shall be eligible for appearing in the examination after completion of the stipulated time of their year.

(2) The minimum attendance required to be eligible for appearing in the examination shall be Seventy-five per cent. of the total lectures and practical in each subject separately.

(3) The shortage of attendance up to the limit specified below may be condoned as below:

a) on account of bonafide illness, the Deputy Director of the Pharmacy course may condone the attendance of the concerned student upto five per cent. in addition to obtained attendance.

b) if a student falls short in attendance by five to ten per. cent, then the Deputy Director shall refer the case to the Director for final decision on condoning the attendance.

(4) Conduct of Examination.- (a) All the examinations shall be held on such dates and time as decided by the Controller of Examinations.

(b) The eligible students shall have to pay stipulated exam fee and submit the examination form duly filled within the prescribed time frame as notified by the Controller of Examinations of the Institute.

(5) Year of Examinations.- (a) The first year examination shall be ordinarily held and completed by the end of year session. The student failing in upto two subjects of first year shall be allowed to keep the terms of the second year session and to appear in second year examination. The subsequent supplementary examination of First year shall be held every six months and maximum four trials (including the main examination) shall be given to pass first year examination within a period of maximum of four years. The student shall not be allowed to continue the course further in case of his inability to pass within the maximum limit.

(b) The student failing in more than two subjects shall not be allowed to keep the term. Such student has to clear all the subjects before being promoted to the second year. Maximum four trials (including the main examination) shall be given to pass first year examination within a period of maximum of four years.

(c) The maximum duration of completion of Diploma course shall not exceed six years from the date of admission.

(6) Examination pattern and promotion.- (a) The pattern of theory examination question paper will be designed by the examination control board of the institute.

(b) The question paper shall be bilingual, in English language and Hindi and the answers may be written in English or Hindi languages.

(c) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and in practical separately in each subject as mentioned in marks distribution table of these regulations.

(d) A student obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction and these award shall not be applicable for supplementary examinations.

(e) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reasons, he or she shall appear in supplementary examination as regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as a trial.

(7) Examinership.- (a) The eligibility to be an examiner in the theory and practical examination shall be a minimum of three years of teaching experience in the concerned subject.

(b) There shall be two examiners in the practical, one internal from the Institute and the other from any Institute.

13. Control of Unfair Means and Disorderly Conduct.- (1) No student shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at, or in connection with the examination, as doing so shall be considered punishable offence depending upon the nature and gravity of the offence as provision of Examination of Institute.

(2) On receipt of a report or on detection of a case regarding the misconduct of any student at any examination or tests the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have the power to punish the student after following the procedure as laid down therein. Any one or more of the following punishment may be awarded by the committee to the student where a charge of misconduct at an examination is held proved against the student:

(a) cancelling or rejecting his admission to an examination and forfeiting fees if any, paid by the student.

(b) cancelling students result of the examination with which the charge is connected.

(c) debarring him for a specific period which may be five years or more or permanently from

(i) joining any course of the institute and/or

(ii) appearing in any of the Institutional examination as per level of punishment given in Schedule below.

SCHEDULE

The Schedule below provides punishment in column (3) of unfair means or acts mentioned in column (2) of the said Schedule

Sr. No.	Unfair Means or Acts	Punishment
(1)	**(2)**	**(3)**
(1)	Writing questions or answers or anything on any material other than answer book inside the examination hall.	Cancelling the result of respective subject
(2)	Possession of material which is/are relevant to the subject of the– examination in examination hall such as: (a) Papers, books or notes; or (b) Written notes on any part of the clothes worn by the student or on any part of his/her body, or table or desk, or (c) Foot-rule and or instruments like set-squares, protractors, slide rulers, etc. with notes written on them.	Disqualification from appearing in examinations for two exams

(3)	Copying is found or established from answer-book or it is otherwise established that the student has: (a) Copied or taken help from any papers, books, note, answer-book or any other source in any manner during the examination or at any time thereafter; or (b) Allowed another student to copy from his/ her answer-book; or (c) Received help from or has helped another student ;or (d) Exchanged his/her answer-book or a part thereof with another student.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(4)	On passing or attempting to pass on the question paper (or part thereof) outside	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(5)	Destruction of incriminating material by swallowing, running away with it or causing its disappearance or by any other means.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(6)	Smuggling in or out of an answer-book or replacing or getting it replaced after attempting answers (during or after the examination with or without the help or connivance of any person).	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(7)	Non delivery of answer-book to the supervisor or destroying the answer book.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(8)	Serious misconduct in the examination hall including threatening the life, liberty of persons associated with examination or misbehavior with staff or using force or rowdyism with the staff appointed on exam duty inside or outside the examination hall.	Permanently debarring the student from institute.
(9)	Disobedience, change of seat, misbehavior in or around examination hall or writing another student's seat number on the answer-book.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(10)	Approaching examiner for raising marks or for writing the answer on blank pages or obstructing the conduct of an examination.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(11)	Impersonation–impersonator (who writes for another student) if is a student of this institute as well as impersonated student.	Permanently debarring the student from institute.
(12)	When answer-book contains (a) abusive or obscene or threatening language (b) appeal to the examiner and (c) distinctive mark to disclose the identity.	Cancelling the result of respective subject
(13)	Admission to the examination on any kind of false representation in the application form.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(14)	If the student is found talking or doing any other malpractice in the video footage/or keeping mobile phone/s or any other electronic gadgets in examination hall.	Disqualification from appearing in examinations upto two exams

14. Conferment of Diploma.- An eligible student passing the final year examinations shall be conferred with the Diploma.

Dr. ANUP THAKAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./078/2024-25]

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.02 23:07:21 +05'30'